संख्या–वे0आ0–2–389/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में राज्य सम्पत्ति विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) व्यवस्थापक के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय एवं व्यवस्थापक के शत प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था करते हुए व्यवस्थापक के पद का वेतनमान रू0 5500–9000 को रू0 7450–11500 के स्तर पर उच्चीकृत करते हुए सादृश्य वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(2) व्यवस्थाधिकारी संवर्ग के ऐसे पदधारक कैटरिंग एवं होटल मैनेजमेन्ट के डिप्लोमा की अर्हता नहीं रखते हैं उन्हें पर्यटन विकास निगम भारत सरकार/पर्यटन विकास निगम उत्तर प्रदेश अथवा किसी पंच सितारा होटल में कैटरिंग एवं होटल मैनेजमेन्ट के विभिन्न ट्रेडों में 06 माह का प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा की जाये। उक्तानुसार अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित पदधारकों की संवर्ग में अगले पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाये। तद्नुसार सेवा–नियमावली में आवश्यक संशोधन कर लिया जाये।

(3) व्यवस्थाधिकारी के वेतनमान रू0 6500–10500 को उच्चीकृत कर रू0 8000–13500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–3 में ग्रेड वेतन रू0 5400/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(4) मुख्य व्यवस्थाधिकारी/वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 8000–13500 को उच्चीकृत कर रु0 10000–15200 के सादृश्य

वेतन बैण्ड–3 में ग्रेड वेतन रू0 6600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(5) मुख्य व्यवस्थाधिकारी ज्येष्ठ श्रेणी, का वेतनमान रू0 10000–15200 को उच्चीकृत कर रू0 12000–16500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–3 में ग्रेड वेतन रू0 7600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(6) मुख्य व्यवस्थाधिकारी (प्राविधिक) का पदनाम सहायक अभियन्ता किया जाय।

(7) स्वागती/स्वागत कर्ता के वेतनमान रू0 3200–4900 के 20 पदों, स्वागत कर्ता एवं स्टोर कीपर के 01 पद वेतनमान रू0 3200–4900 तथा स्वागती एवं पूछताछ लिपिक वेतनमान रू0 3050–4590 के 04 पदों को संविलीन कर स्वागती पदनाम से वेतनमान रू0 3200–4900 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 में ग्रेड वेतन रू0 2000/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(8) टैलेक्स आपरेटर के उपलब्ध 03 पदों को टेलीफोन आपरेटर के पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय। टेलीफोन आपरेटर के पदों पर सामान्य संवर्ग के पदों में इस संवर्ग के लिये की गयी संस्तुतियों के अनुसार ही वेतनमान एवं ढ़ॉचा रखा जाय।

(9) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक लिपिकीय संवर्ग तथा आशुलिपिक आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गो के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जा चुकी हैं। राज्य सम्पत्ति विभाग के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–389 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।